न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर (ग्रामीण)
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 119/2023
जीसीएमएस संख्या : 2023/56

अपीलार्थी :–
रामूराम पुत्र झीपरराम, जाति जाट, निवासी ग्राम लवेरा खुर्द, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण :–
1. पन्नाराम पुत्र झीपरराम, जाति जाट, निवासी ग्राम लेवरा खुर्द, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।
2. भागीरथ राम उर्फ भागूराम पुत्र मोतीराम, जाति जाट, निवासी ग्राम लवेरा खुर्द, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।
3. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार तहसील कार्यालय बावड़ी, जिला जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 20.07.2018 पारित द्वारा उगमसिंह राजपुरोहित आर0टी0एस0 बावड़ी, अन्तर्गत राजस्व विविध प्रकरण संख्या (वसीयतनामा बाबत्) 08/2018 (पुराने प्रकरण संख्या 02/2013) बअनवान पन्नाराम व सरकार एवं कन्सोलिडेन्ट प्रकरण संख्या 02/2016 बअनवान भागीरथ उर्फ भागूराम बनाम सरकार में आदेश पारित करते हुए पन्नाराम द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरकरण करने का आदेश पारित किया गया।

————

उपस्थिति :–
1. अधिवक्ता श्री सांगाराम चौधरी (अपीलार्थी)।
2. अधिवक्ता श्री प्रेमसिंह पूनिया (प्रत्यर्थी संख्या 01)
3. अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी (प्रत्यर्थी संख्या 02)

–: आदेश :– दिनांक :– 23.07.2024

अपीलार्थी ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 आदेश दिनांक 20.07.2018 को राजस्व प्रकरण संख्या 08/2018 बअनवान पन्नाराम बनाम सरकार व प्रकरण संख्या 02/2016 बअनवान भागीरथराम बनाम सरकार में तहसीलदार बावड़ी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 135(2) एल0 आर0 एक्ट वास्ते अंपजीकृत वसीयतनामा से

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.03 17:35:22 IST
Reason: SelfAttested

नामान्तरकरण स्वीकृत करने बाबत् में पारित किया गया, के विरूद्ध पेश की है।

अपील प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये, जो प्रत्यर्थीगण को विधिवत् तामील हुए। प्रकरण से संबंधित मूल रिकॉर्ड तहसीलदार बावड़ी से तलब किया गया। अपीलार्थी ने उक्त अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की है। प्रकरण में मूल रिकॉर्ड प्राप्त होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस दिनांक 08.07.2024 को सुनी जाकर पत्रावली दिनाांक 23.07.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय करने से पहले क्षेत्राधिकार का बिन्दु तय करना उचित समझते है। अपीलार्थी ने तहसीलदार द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 135(2) एल0 आर0 एक्ट वास्ते अंपजीकृत वसीयतनामा से नामान्तरकरण स्वीकृत करने बाबत् आदेश पारित किया गया, को चुनौती दी है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने न्यायिक दृष्ट्ान्त आरआरटी 2003 (1) पेज नं0 359, आरआरटी 2010(10) पेज नं0 1322 तथा आरआरटी 2004 (1) पेज नं0 380 में अभिनिर्धारित किया गया है कि तहसीलदार द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 धारा 135(2) के तहत पारित आदेश की अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपील सुनने की शक्तियाँ माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त को है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है। अपीलार्थी किसी भी प्रकार का अनुतोष चाहता है तो सक्षम न्यायालय में चाराजोही करें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख आदेश की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सीमा कविया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जोधपुर (ग्रामीण)

आदेश आज दिनांक 23.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.03 17:35:22 IST
Reason: SelfAttested

(सीमा कविया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जोधपुर (ग्रामीण)